पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2015 ई0 (आषाढ़ 20, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	477–484	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	421–436	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	219–220	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–5

कार्यालय–ज्ञाप

21 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 663/XXVIII-5-2015-07(घो0)/2015–एतद्द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनेशपुर का नाम "श्री पुलिन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनेशपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर" किया जाता है।

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

8 मई, 2015 ई0

संख्या 608/XX-3-2015-05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस सम्बन्ध में श्रीमती प्रीतू शर्मा, सप्तम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–6253/XX-3-2014-05(17)2013, दिनांक 05 जून, 2014 को विखण्डित करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री राजीव कुमार, षष्ठम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

नियोजन अनुभाग–2

कार्यालय आदेश/पदोन्नति

23 मई, 2015 ई0

संख्या 179/XXVI/दो(21)/2004–अर्थ एवं संख्या विभाग में सृजित 04 संयुक्त निदेशक के पदों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री सुन्दर लाल, उप निदेशक को उनके नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनाती प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पूर्व में तैनाती स्थल	पदोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुन्दर लाल	अर्थ एवं संख्या कार्यालय	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	जनहित में

उक्त अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें एवं उक्त अधिकारी को संयुक्त निदेशक पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

कार्यालय आदेश/पदोन्नति

23 मई, 2015 ई0

संख्या 212/XXVI/दो(19)/2003–अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अर्थ एवं संख्याधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनाती प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान में तैनाती स्थल	पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	कु0 चित्रा	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, जनपद पौड़ी	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	जनहित में
2.	श्री राजेन्द्र तिवारी	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर	मण्डलीय कार्यालय, हल्द्वानी	जनहित में
3.	श्रीमती गीतांजली शर्मा	बीस सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, देहरादून	बीस सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, देहरादून	जनहित में
4.	श्री त्रिलोक सिंह अन्ना	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	जनहित में
5.	श्री दिनेश चन्द्र बडोनी	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, उत्तरकाशी	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, उत्तरकाशी	जनहित में
6.	श्री मनीष राणा	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून	जनहित में
7.	श्रीमती इला पंत विष्ट	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, अल्मोड़ा	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, अल्मोड़ा	जनहित में
8.	श्री अमित पुनेठा	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, नैनीताल	अर्थ एवं संख्या कार्यालय, नैनीताल	जनहित में
9.	श्रीमती रश्मि हलधर	अर्थ एवं संख्या निदेशालय,	मण्डलीय कार्यालय, पौड़ी	जनहित में
10.	श्री गौरी शंकर पाण्डेय	प्रोग्रामर अर्थ एवं संख्या निदेशालय	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून (कम्प्यूटर संवर्ग)	जनहित में

उक्त अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अग्रिम आदेशों तक अपने नवीन पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें एवं उक्त समस्त अधिकारियों को उप निदेशक पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

उक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग एवं राजस्व विभाग हेतु सृजित 01–01 पद विभागों के संगठनात्मक ढांचे में सृजित न होने के कारण अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अर्थ एवं संख्याधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष 02 उप निदेशकों की तैनाती निदेशालय में की गई है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

संशोधित अधिसूचना

प्रकीर्ण

26 मई, 2015 ई0

संख्या 950/XXVIII-2/04(452)2001–गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 17(2) एवं 17(5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक 01–01–1996 से प्रवृत्त नियमों के क्रम में, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–4323/चि0–2–2001/452(चि0)/2001, दिनांक 09–01–2002 द्वारा तहसील स्तर पर समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रिएट एथॉरिटी) एवं सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) का गठन किया गया था, में कतिपय संशोधन करते हुए, तहसील स्तर पर समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

- प्रत्येक तहसील से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (पदेन) – समुचित प्राधिकारी
- उक्त समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर एक तहसील स्तरीय सलाहकार समिति गठित होगी और सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे।
- सलाहकार समिति के सदस्य–
  1. सम्बन्धित तहसील स्तर पर स्थित सामु0स्वा0के0 में तैनात तीन ऐसे चिकित्सकीय विशेषज्ञ, जिन्हें आनुवांशिक विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ के बीच में से चुना जायेगा – सदस्य
  2. सम्बन्धित तहसील से एक विधि विशेषज्ञ – सदस्य
  3. सम्बन्धित तहसील के सूचना या प्रसारण विभाग से चुना जाने वाला एक अधिकारी – सदस्य
  4. सम्बन्धित तहसील में कार्यरत तीन प्रसिद्ध समाज सेवी, जिसमें महिला संगठन की कम से कम एक प्रतिनिधि हो, इनका चयन सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा – सदस्य।

2. अधिसूचना संख्या–4323/चि0–2–2001/452(चि0)/2001, दिनांक 09–01–2002 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। वर्णित अधिसूचना दिनांक 09–01–2002 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

02 जून, 2015 ई0

संख्या 2126/X-1-2015-04(24)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी) वेतनमान में कार्यरत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह (2001) को वन संरक्षक पे बेण्ड–4, वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹ 8900 के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/नियुक्ति

25 मई, 2015 ई0

संख्या 106/XXVII(6)-डी-201/2015-एक–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री भारत चन्द्र पुत्र श्री दर्शन लाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी द्वारा उनका योगदान निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग की तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:–
   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।
   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।
   (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।
   (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उसके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।
   (5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

   इस प्रकार का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री भारत चन्द्र द्वारा प्रत्येक दशा में तत्काल निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान

प्रस्तुत किया जायेगा। यथासमय अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपकी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011, सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011, नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011, आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014, पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

30 मई, 2015 ई0

संख्या 128/2015/XXVII(9)/यू0ओ0–06/स्टाम्प/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य के आपदा प्रभावित 5 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर में अधिवास कर रहे प्रत्येक अर्ह आपदा प्रभावित लाभार्थी, जो स्वयं खरीद की गयी भूमि अथवा दाननामा (गिफ्ट डीड) के माध्यम से प्राप्त भूमि में अपने भवन का निर्माण करना चाहता है, को भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

30 मई, 2015 ई0

संख्या 3128/II-2015-01(29)(18)-2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 282/25/ई–1/डी0पी0सी0(ए0ई0)/2014–15, दिनांक 30–10–2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 15600–39100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर निम्नवत् पद रिक्त होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डिप्लोमाधारी संवर्गः—

क्र0सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री प्रमोद चन्द्र मिश्रा	श्री भगवान प्रसाद शाह, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31—05—2015 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नत कार्मिक को नियमानुसार प्रथम बार ही शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य किया गया है।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012, श्री अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द वर्द्धन,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जून, 2015 ई0

संख्या 1400 पदो0/14/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री संजय कुमार, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15600—39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए संस्कृत शिक्षा अनुभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले मा0 न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

पी0 एस0 जंगपांगी,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

02 जून, 2015 ई0

संख्या 845/XXX-1-15-15(13)/2009–श्री ललित नारायण मिश्र, पी0सी0एस0 के पत्र दिनांक 16–04–2015 एवं 18–05–2015 में किये गये अनुरोध कि श्री मिश्र के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से वर्ष 2002 में "डॉ0 ऑफ फिलॉसफी" की उपाधि प्राप्त की है, के प्रमाण–पत्र के आधार पर श्री ललित नारायण मिश्र, पी0सी0एस0 के नाम के पूर्व डॉ0 शब्द जोड़ कर अभिलेखों में डॉ0 ललित नारायण मिश्र अंकित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

महावीर सिंह,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/368–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2015 ई0 (आषाढ़ 20, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

MAY 26, 2015

No. 179/UHC/XIV/19/Admin.A/2008--Smt. Geeta Chauhan, Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 28-04-2015 to 30-04-2015.

NOTIFICATION

April 07, 2015

No. 118 UHC/XIV/79/Admin.A/2003--Ms. Neelam Ratra, 3rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 19 days *w.e.f.* 09-03-2015 to 27-03-2015 with permission to prefix 05-03-2015 to 07-03-2015 as Holi, 08-03-2015 as Sunday and to suffix 28-03-2015 as Ram Navami and 29-03-2015 as Sunday holiday in terms of Office Memorandum No 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 07, 2015

No. 119 UHC/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungarakoti, Judicial Magistrate, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 18 days *w.e.f.* 10-03-2015 to 27-03-2015 with permission to suffix 28-03-2015 and 29-03-2015 as Ram Navami & Sunday holiday in terms of Office Memorandum No 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 07, 2015

No. 120 UHC/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 16-03-2015 to 27-03-2015 with permission to prefix 14-03-2015 as second Saturday, 15-03-2015 as Sunday and to suffix 28-03-2015 to 29-03-2015 as Ram Navami & Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 07, 2015

No. 121 UHC/XIV/49/Admin.A--Sri C.P. Bijlwan, District & Sessions Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 12-03-2015 to 25-03-2015.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 180/UHC/Admin.A/2015--Sri Rakesh Kumar Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 181/UHC/Admin.A/2015--Ms. Parul Gairola, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, in the *vacant* Court.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 182/UHC/Admin.A/2015--Sri Rahul Kumar Srivastava, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Parul Gairola.

This order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 183/UHC/Admin.A/2015--Ms. Shivani Pasbola, Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun.

She will hold Camp Court at Chakrata for two continuous days in every fortnight.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 184/UHC/Admin.A/2015--Sri Harsh Yadav, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, in the *vacant* Court.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 185/UHC/Admin.A/2015--Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, in the *vacant* Court.

He is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal. He is directed to hold Camp Court at Srinagar for two continuous days in every fortnight.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 186/UHC/Admin.A/2015--Ms. Anita Kumari, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, *vice* Sri Harsh Yadav.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 187/UHC/Admin.A/2015--Sri Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, District Pauri Garhwal.

He shall hold Camp Court at Dhumakot for four continuous days in a month.

NOTIFICATION

June 05, 2015

No. 188/UHC/Admin.A/2015--Sri Dayaram, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath, District Rudraprayag.

He shall hold Camp Court at Ukhimath for six continuous days in a month.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 15, 2015

No. 172/I-09-2013--Certified that the office of District & Sessions Judge, Pithoragarh was transferred under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide endorsement No. 1603/XIII-b-1/Admin.A/2014, dated April 03, 2015 and Notification No. 409/VIII/15-70(Labour)/2001, Dehradun, dated 31 March, 2015 issued by the Department of Labour & Employment, Government of Uttarakhand, Dehradun, as hereinafter denoted, in the afternoon of April 15, 2015.

C. P. BIJLWAN,
District & Sessions Judge.
Pithoragarh.

Counter-Signed,

Sd/-(Illegible)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

ON TAKING OVER

April 18, 2015

May 11,2015

No. 204/I-05-2015--Certified that the charge of the office of District and Sessions Judge, Pithoragarh is taken over in pursuance of orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, at Nainital *vide* notification No. 48/UHC/Admin.A/2015, dated 03-04-2015, as hereinafter denoted, in the afternoon of 18-04-2015.

SIKAND KUMAR TYAGI,
District & Sessions Judge.
Pithoragarh.

Counter-Signed,

Sd/-(Illegible)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

ON TAKING OVER

May 11,2015

No. 205/I-06-2015--Certified that the charge of the office of Judicial Magistrate, Pithoragarh is taken over in pursuance of orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, at Nainital *vide* notification No. 142/ UHC/Admin.A/2015, dated 05-05-2015, as hereinafter denoted, in the forenoon of 11-05-2015.

RAVINDRA DEV MISHRA,
Judicial Magistrate,
Pithoragarh.

Counter-Signed,

Sd/-(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

कार्यालय आदेश

27 मई, 2015 ई0

पत्रांक 1068/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 37(14.15)/15–16/देहरादून–मुख्यालय के पत्रांक 3762 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के द्वारा वाणिज्य कर मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति में विभिन्न व्यापारिक औद्योगिक व अधिवक्ता संघ के सदस्य सम्मिलित किये गये थे।

उक्त समिति के सदस्यों में निम्न सदस्यों को भी एतद्द्वारा सम्मिलित किया जाता है:–

1. श्री अमरजीत सिंह चढ्ढ़ा, प्रदेश महामंत्री, देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल, हल्द्वानी।
2. श्री नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री, प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल, हल्द्वानी।

उक्त समति का कार्यकाल एतद्द्वारा अग्रेत्तर 31–03–2016 तक बढ़ाया जाता है।

(विधि–अनुभाग)

कार्यालय आदेश

20 नवम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 3762 आयु0क0/उत्तरा0/वाणि0क0/विधि0–अनु0/37/2014–15–विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक एवं अधिवक्ता संघों द्वारा समय–समय पर वाणिज्य कर विभाग में आ रही समस्याओं एवं सुझावों से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग में हो रहे कम्प्यूटराईजेशन कार्य के लिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में समय–समय पर उक्त संगठनों से सुझाव प्राप्त किए जाते रहे तथा कम्प्यूटराईजेशन कार्य को क्रियान्वित हेतु प्रभावी बनाए जाने के लिए विचार–विमर्श किया जाता रहे। इस हेतु वाणिज्य कर, मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक एवं अधिवक्ता संघों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे तथा उनके द्वारा रखी जा रही समस्याओं के निराकण एवं कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए इसे अधिक सरल तथा उपयोगी बनाने हेतु विचार–विमर्श किया जायेगा।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

अध्यक्ष	आयुक्त कर
संयोजक सदस्य	एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय
व्यापार/औद्योगिक/अधिवक्ता संघों के सदस्य	सूची के अनुसार
विभागीय सदस्य	समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड
विशेष आमंत्रित सदस्य	निदेशक, एन0आई0सी0

उक्त समिति दिनांक 31–03–2015 तक प्रभावी रहेगी।

व्यापार/औद्योगिक/अधिवक्ता संघों के सदस्य

सम्भाग का नाम	व्यापारिक संगठन	औद्योगिक संगठन	अधिवक्ता संघ
देहरादून	1. श्री एम0पी0 दीवान, अध्यक्ष प्रान्तीय इण्ड0 एसो0, उत्तराखण्ड 2. श्री विपिन नागलिया, अध्यक्ष दून उद्योग व्यापार मण्डल, देहरादून	1. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्ड0 एसो0 ऑफ उत्तराखण्ड 2. श्री राकेश भाटिया, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड इण्ड0 वेलफेयर एसो0, सेलाकुई	1. श्री मुकेश सक्सेना, अध्यक्ष देवभूमि टैक्स बार एसो0 2. श्री एन0आर0 गोयल, संरक्षक दून वाणिज्य कर बार एसो0
हरिद्वार	1. श्री संजय गर्ग, अध्यक्ष प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, रुड़की 2. श्री कैलाश केसवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल	1. श्री हरेन्द्र गर्ग, अध्यक्ष सिडकुल मैन्यूफैक्चरर एसो0, उत्तराखण्ड 2. श्री गौतम कपूर, महासचिव भगवानपुर इण्ड0 एसो0, रुड़की	1. श्री ज्योति राज, अध्यक्ष टैक्स बार एसो0, रुड़की 2. श्री संदीप गुप्ता, सदस्य टैक्स बार एसो0, हरिद्वार
काशीपुर	1. श्री सुनील टंडन, कार्यकारी अध्यक्ष, देवभूमि व्यापार मण्डल, काशीपुर 2. श्री संजय जुनेजा, अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मण्डल, रूद्रपुर	1. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर, काशीपुर 2. श्री आलोक गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर, काशीपुर	1. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष टैक्स बार एसो0, काशीपुर 2. श्री पी0डी0 चिलाना, अध्यक्ष टैक्स बार एसो0, रूद्रपुर
नैनीताल	1. श्री प्रमोद अग्रवाल, गोल्डी मण्डलीय महासचिव किराना व्यापार मण्डल, हल्द्वानी 2. श्री गोविन्द सिंह बंगडवाल, नगर अध्यक्ष, देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल, हल्द्वानी	1. श्री वी0के0 लोहाटी, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी 2. श्री आर0सी0 बिंजोला, सचिव, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	1. श्री आई0पी0 सिंह, अध्यक्ष टैक्स बार एसो0 नैनीताल रोड़, हल्द्वानी 2. श्री मुकेश अग्रवाल, एक्ज्यूकेटिव मेम्बर, टैक्स बार एसो0, हल्द्वानी

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

04 जून, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 355/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा पत्र संख्या 472/2015/xxvii-(8)/1A(120)/2001, दिनांक 03 जून, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01–10–2014 से 30.–09–2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016 तक) के लिये ईंट भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 472/2015/xxvii-8/1A(120)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून, दिनांक 03 जून, 2015

विषयः– ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01–10–2014 से 30.–09–2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016 तक) के लिये ईंट भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5857/आयु0कर0उत्तरा0/विधि0–अनु0/2014–15, दिनांक 13 मार्च, 2015 तथा पत्र संख्या–369/आयु0 कर उत्तरा0/विधि0–अनु0/2014–15, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01–10–2014 से 30.–09–2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016 तक) के लिये ईंट भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01–10–2014 से 30.–09–2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016 तक) के लिये ईंट भट्टा समाधान योजना लागू करते हुये अग्रानुसार समाधान राशि निर्धारित की जाती हैः–

भट्ठे की श्रेणी	वर्ष 2014–15 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	125000	150000
16 पाये तक	143000	172000
17 पाये तक	170000	204000
18 पाये तक	202000	242000
19 पाये तक	235000	282000
20 पाये तक	270000	324000
21 पाये तक	308000	370000
22 पाये तक	363000	436000
23 पाये तक	418000	502000
24 पाये तक	472000	566000
25 पाये तक	534000	641000
26 पाये तक	595000	714000
27 पाये तक	662000	794000
28 पाये तक	728000	874000
29 पाये तक	797000	956000
30 पाये तक	870000	1044000
31पाये तक	942000	1130000
32 पाये तक	1018000	1222000
33 पाये तक	1087000	1304000
34 पाये तक	1162000	1394000
35 पाये तक	1238000	1486000
36 पाये तक	1309000	1571000
37 पाये तक	1382000	1658000
38 पाये तक	1457000	1748000
39 पाये तक	1529000	1835000
40 पाये तक	1600000	1920000

इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा–निर्देश एवं प्रारूप–1(समाधान हेतु प्रार्थना–पत्र) एवं प्रारूप–2 (शपथ–पत्र/अनुबन्ध पत्र) संलग्न हैं। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

शासनादेश संख्या– /2015/xxvii-8/1A(120)/2001, दिनांक मई, 2015 का संलग्नक।

उत्तराखण्ड ईट भट्टा निर्माताओं द्वारा, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत विशिष्ट इंगित मदों के क्रय–विक्रय पर, देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा(2) के अर्न्तगत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में भट्टा सीजन वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 हेतु शासन के निर्देश।

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 (दिनांक 1–10–2014 से 30–09–2015 एवं दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016) तक की अवधि में जिसको आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है, निर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुष्त धनराषि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है।

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में उन ईंटों के निर्माता व्यापारियों, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं जो ईटों के निर्माण/बिक्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्टे से स्व–निर्मित ईटों, ईट के रोड़ों और ईट भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिक्री तथा ऐसी ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री पर विधि के अनुसार कर देय होगा जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (दिनांक 1–10–2013 से 30–09–2014) में जिन ईंट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में शासन के निर्देश के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें उन निर्देशों/शर्तों के अनुसार जमा नहीं की है, ऐसे ईट निर्माता सीजन वर्ष 2014–15 (1–10–2014 से 30–09–2015) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016) के लिए इन निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि, उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरुप चालान अपने कर–निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिये समाधान राशि निम्नवत् होगी:–

भट्ठे की श्रेणी	वर्ष 2014–15 के लिये समाधान राषि प्रति भट्ठा	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	125000	150000
16 पाये तक	143000	172000
17 पाये तक	170000	204000
18 पाये तक	202000	242000
19 पाये तक	235000	282000
20 पाये तक	270000	324000
21 पाये तक	308000	370000
22 पाये तक	363000	436000
23 पाये तक	418000	502000
24 पाये तक	472000	566000

25 पाये तक	534000	641000
26 पाये तक	595000	714000
27 पाये तक	662000	794000
28 पाये तक	728000	874000
29 पाये तक	797000	956000
30 पाये तक	870000	1044000
31पाये तक	942000	1130000
32 पाये तक	1018000	1222000
33 पाये तक	1087000	1304000
34 पाये तक	1162000	1394000
35 पाये तक	1238000	1486000
36 पाये तक	1309000	1571000
37 पाये तक	1382000	1658000
38 पाये तक	1457000	1748000
39 पाये तक	1529000	1835000
40 पाये तक	1600000	1920000

(5) स्पष्टीकरण :–

(क) किसी भी भट्टे में पायों की संख्या वह संख्या होगी, जो भट्टे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रोंस में चट्टों की संख्या है, किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्टे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जाएगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्टे हैं अथवा कोई भट्टा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्टों में से प्रत्येक भट्टे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्टे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्टा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारुप–1 में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को भट्टा सीजन 2014–15 के सम्बन्ध में समाधान योजना लागू होने के एक माह के अन्दर एवं भट्टा सीजन 2015–16 के सम्बन्ध में दिनांक 30–10–2015 तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारुप–2 में शपथ पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी संलग्न किया जायेगा। सामान्य रुप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईंट निर्माता ऊपर निर्धारित समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित, एवं उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद हुई देरी के लिये 15 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित, आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईंट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अर्न्तगत देय समाधान राशि निम्नवत जमा की जायेगी :–

क्र0सं0	देय राशि	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2014–15 हेतु	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2015–16 हेतु
1	समाधान राशि का 20 प्रतिशत	प्रार्थना–पत्र के साथ (समाधान योजना लागू होने के 1 माह के अन्दर)	प्रार्थना–पत्र के साथ (दिनांक 31–10–2015 तक)
2	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 2 माह के अन्दर।	दिनांक 31–12–2015 तक
3	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 3 माह के अन्दर।	दिनांक 28–02–2016 तक
4	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 4 माह के अन्दर	दिनांक 30–04–2016 तक
5	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 5 माह के अन्दर।	दिनांक 30–06–2016 तक
6	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 6 माह के अन्दर।	दिनांक 31–08–2016 तक

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईंट निर्माता के विरुद्ध देय समाधान राशि की बकाया राषि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भांति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी उपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी ईंट निर्माता को यह विकल्प न होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईंट भट्टों में से एक या कुछ भट्टों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्टों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर जमा करें।

(13) यदि किसी नये ईंट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्टे में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में दिनांक 01–04–2015 /01–04–2016 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्टों में निर्मित ईट, टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़े और राबिस की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री, तथा उसी अवधि

में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के विकल्प में देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष 2014–15 में दिनांक 31–03–2014 तक तथा सीजन वर्ष 2015–16 में दिनांक 31–03–2015 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईंट निर्माता को अपना प्रार्थना–पत्र प्रारुप–1 में षपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अंदर अथवा योजना प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर जो भी बाद में पड़े प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड़ (ङ)(पप) के अन्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में तथा शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित आयुक्त वाणिज्य कर को विघटन के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रुप से यह अवधि आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन, उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए निर्धारित दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नये ईट निर्माता द्वारा देय एकमुश्त राशि (समाधान राशि) भी प्रस्तर (9) की व्यवस्था के अनुसार ही जमा की जायेगी।

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्टे के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्टे के सम्बन्ध के बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त जमाराशि देय होगी।

(16) यदि वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा भट्टे में पायों की संख्या ईट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोशित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उसे भट्टे के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईट निर्माता, अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर तत्काल अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा भट्टे की जांच के आधार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा निर्धारित पायों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15),(16) तथा (17) के अनुसार यदि समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्टे के केवल स्थान में ही परिर्वतन किया जाता है, किन्तु पायों की संख्या तथा ईट निर्माता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/परिवर्तन न होगा।

(21)प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने

अथवा असहयोग की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्श निकाला जाएगा। साथ ही यदि कर निर्धारक प्राधिकारी उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाहीं भी की जा सकती है। विपरीत बिन्दु पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी तथा ईंट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले, ईट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि वैट के रुप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। यदि वह वसूल करते हैं तो उनके द्वारा ऐसी धनराशि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गई ऐसी वसूली के लिए धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

(23) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईट निर्माण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म–"सी" सम्बन्धित ईट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे। यह कार्यवाही आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा की जायेगी।

(24) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रुप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईट निर्माता को भी क्षति होती है और ईट निर्माता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा तुरन्त जांच करायी जायेगी ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब षासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड ईट निर्माता संघ, एवं ईट निर्माता जिला समितियां भी उन भट्टों के शपथ–पत्र की तसदीक कर सकेगी, जिनके द्वारा समाधान योजना करने का विकल्प दिया जाए।

प्रारूप–1

भट्टा व्यवसाय में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... .....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल / उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार .....हूँ। मैंने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में स्वनिर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईट के रोड़ों, राबिश आदि की दिनांक 01–10–2014 से 30–09–2015 / दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) की अवधि में की जाने वाली बिक्री पर तथा उक्त ईट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़ों और राबिश की सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015 / दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में की जाने वाली बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त निर्धारित धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुसार, जो रूपया.....है स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का ..... प्रतिशत राशि रूपये .....तथा उस पर देय ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 01–10–2014 / 01–10–2015 (जो लागू न हो उसे काट दें) को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था :–

क्रम सं0	मद	विवरण	संख्या / मात्रा	स्थान, जहाँ स्टाक रखा है।
1.	पक्की ईटें			
2.	इटों के रोड़े			

3. भट्ठे में निर्मित टाइल्स
4. राबिश
5. कोयला
6. लकड़ी
7. बालू
8. लकड़ी का बुरादा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....
.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

प्रारूप–2:–

समक्ष कर निर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल/ उपमण्डल.....
मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....
.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी/ साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
1– मुख्यालय	
2– शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

3– उत्तराखण्ड ईंट निर्माताओं द्वारा ईंटों, ईंट भट्टे में निर्मित टाईल्स, ईंटों के रोड़ो तथा राबिश की सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में हुई बिक्री और उसी अवधि में ईंटों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तें आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईंट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिवर्तन/वृद्धि होती है, हो या किसी भटटे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/वृद्धि से तीस दिने के अन्दर अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा। मेरी फर्म के अन्तर्गत समस्त भट्टों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	भट्ठों का नाम एवं उनके स्थान का पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है।	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.....

5– प्रस्तर–4 में अंकित भट्टों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग..... होता है जो मेरी/हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 20 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि, मेरी फर्म द्वारा, शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जमा की जायेगी।

6– हमारा/ मेरा भट्टा नया अथवा.....से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(पप) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से फुकाई प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि रू0.....होती है, जिसका 1/3 मैंने ..... बैंकों की शाखा.....में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

7– यदि सीजन वर्ष दिनांक 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/368–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2015 ई0 (आषाढ़ 20, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण–पत्रों में हमारी भूल से मेरा नाम Dushant Huja माता का नाम Jyoti Huja पिता का नाम Ram Chandra Huja हो गया है। जबकि हमारा वास्तविक नाम Dushant Ahuja माता का नाम Jyoti Ahuja पिता का नाम Ram Chandra Ahuja है। भविष्य में हमें इसी नाम से जाना–पहचाना जाए।

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

DUSHANT AHUJA,
S/o Ram Chandra Ahuja,
R/o 310, Uttam Basti,
Bhupatwala, Haridwar.

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण–पत्रों में हमारी भूल से मेरा नाम Chetan Huja माता का नाम Jyoti Huja पिता का नाम Ram Chandra Huja हो गया है। जबकि हमारा वास्तविक नाम Chetan Ahuja माता का नाम Jyoti Ahuja पिता का नाम Ram Chandra Ahuja है। भविष्य में हमें इसी नाम से जाना–पहचाना जाए।

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

CHETAN AHUJA,
S/o Ram Chandra Ahuja,
R/o 310, Uttam Basti,
Bhupatwala, Haridwar.

सूचना

मैंने अपना नाम गंगाधर राजपूत से बदलकर सिद्धार्थ राजपूत रख लिया है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाये। सिद्धार्थ राजपूत पुत्र कबीर चन्द, रानीगली, भूपतवाला, हरिद्वार।

समस्त औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सिद्धार्थ राजपूत,
पुत्र श्री कबीर चन्द,
पता– रानीगली, भूपतवाला, हरिद्वार,
जनपद हरिद्वार– उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/368–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।